

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक :- नर्सिंग/एलएचवी/ आर-2/सेवानिवृत्ति/2017/ दिनांक

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क.स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित अधिकारी	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	अनम्मा आर एलएचवी	सीएमएचओ अलवर	06.09.57	30.09.17
2.	मरिया कुट्टी पी.एम एलएचवी	सीएमएचओ भरतपुर	25.11.57	30.11.17
3.	मोल्ली कुट्टी एम0के0 एलएचवी	सीएमएचओ राजसमन्द	27.11.57	30.11.17
4	भगवानी देवी जोगी एलएचवी	सीएमएचओ रतनगढ चुरु	15.12.57	31.12.17

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

- Sd -

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/एलएचवी/ आर-2/सेवानिवृत्ति/2017/690

दिनांक 13/9/2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये :-

1. निदेशक,पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर/भरतपुर/राजसमन्द/रतनगढ (चुरु)।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामगढ(अलवर)/खमनोर(राजसमन्द)/राजगढ (चुरु)
4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीग (भरतपुर)/झालों की मदार (राजसमन्द)
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर